

परिशिष्ट-I

(संदर्भ अनुच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 3)

संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का विवरण

क्रम सं.	विषय	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियाँ	कार्य	कार्मिक
1.	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है	हाँ	हाँ	हाँ
2.	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4.	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5.	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6.	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7.	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8.	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
9.	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10.	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11.	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12.	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14.	ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
15.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17.	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
18.	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19.	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20.	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	नहीं	हाँ	नहीं
22.	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23.	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
24.	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25.	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26.	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27.	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29.	सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं।

* हस्तांतरित लेकिन अस्थायी रूप से वापस लिए।

परिशिष्ट-II

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 21)

संगठनात्मक ढांचा

स्तर	योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण	कार्य एवं उत्तरदायित्व
राज्य स्तर	राज्य रोजगार गारंटी परिषद	<ul style="list-style-type: none"> योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, वरीयता प्राप्त कार्यों का निर्धारण, समय-समय पर अनुश्रवण एवं निराकरण तंत्र की समीक्षा करना, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
	राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में योजना के क्रियान्वयन का समग्र पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण और योजना के प्रभावी मूल्यांकन हेतु प्रतिष्ठित अभिकरणों को सूचीबद्ध करना।
जिला स्तर	जिला पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> योजना के क्रियान्वयन की आयोजना और समीक्षा हेतु मुख्य प्राधिकरण, जिला/ब्लॉक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्लान का अनुमोदन करना। परियोजनाओं के ब्लॉक-वार शेल्व का अनुमोदन एवं पूर्ण करना। स्वयं के एवं अन्य लाइन विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का निष्पादन करना। अधिनियम के क्रियान्वयन का समग्र पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
	जिला कार्यक्रम समन्वयक	<ul style="list-style-type: none"> जिला पंचायतों के कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। ब्लॉक पंचायत द्वारा तैयार योजनाओं का समेकन परियोजनाओं के शेल्व में सम्मिलित करने हेतु करना। अनुमोदन अनुसार और समन्वय सहित कार्यक्रम अधिकारी के प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करना। प्रगतिरत कार्यों का आवधिक निरीक्षण करना।
ब्लॉक स्तर	ब्लॉक पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> ब्लॉक स्तर पर कार्यों की योजना बनाना एवं कार्यों को वरीयता प्रदान करना एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।
	कार्यक्रम अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी व्यवहार्यता हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच करना। ब्लॉक स्तर पर कार्य की मांग के अनुरूप रोजगार के अवसरों का मिलान करना। (i) समयानुसार कार्यों का निष्पादन, (ii) कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान और (iii) सामाजिक अंकेक्षण को सुनिश्चित करना।
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> कार्य योजना बनाना, परिवारों का पंजीकरण करना, जॉब कार्ड जारी करना, रोजगार आवंटित करना और योजना के क्रियान्वयन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन करना।
लाइन विभाग एवं अन्य	लाइन विभाग - वन, सिंचाई आदि गैर सरकार संगठन	<ul style="list-style-type: none"> निष्पादित कार्यों के अनुमानों, माप, पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना। कार्यों का निष्पादन आदि।

परिशिष्ट-III

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.5; पृष्ठ 22)

चयनित इकाईयों का विवरण

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों की संख्या
बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	बडलीयापाडा, छाजा, काजलिया, नाहरपुरा, पाटनवाधरा, टामटिया, तेजपुरा, उदयपुरा बड़ा	8
	गांगरतलाई	छालकातलाई, गडुली, झाझरवा कला, खोडालिम, रोहनिया, रोहनवाडी	6
	कुशलगढ़	बस्सी, बावलियापाडा, बिल्लीपाडा, डूंगरीपाडा, गोपालपुरा, झिकली, लोहारिया बड़ा, महुडा, मोखमपुरा, रूपगढ़	10
बाड़मेर	बाड़मेर	बालेरा, बाड़मेर आगौर, बेरीवाला तला, भादरेश, चूली, जुना पतरासर, कगाऊ, खारीया तला, कुड़ला, मारूदी, मुरटाला गाला, राणीगांव, रोहीली	13
	गडरारोड़	आसाडी, बिजावल, झणकली, खबडाला, खानियाणी, रतरेडी कला, बांडासर	7
	सिणधारी	अरणीयाली महेचान, एड सिणधरी, कमटाई, मोतीसरा, नाकोडा, निम्बलकोट, सणपा मानजी, सिणधरी चारणान	8
	सिवाना	भागवा, गोलिया, गुडा, कांखी, महिलावास, पऊ, सिवाना	7
भीलवाड़ा	आसीद	बदनोर, बरसनी, चतरपुरा, कालियास, मोटरास, निम्बाहेडा, रतनपुरा (भा), रघुनाथ पुरा, सररी, शंभु गढ, नेगडिया	11
	बिजौलिया	बिजौलिया कलों, भोपत पुरा, चाँद जी की खेड़ी, श्यामपुरा, विक्रमपुरा	5
	मांडल	आलमास, बावलास, भादू, भिमडियास, चांदरास, चिताम्बा, गोरखिया, ज्ञानगढ़, करेड़ा, कीड़िमाल, नारेली, थाणा	12
डूंगरपुर	आसपुर	आसपुर, भेवडी, गलियाणा, गणेशपुर, गोल, खलील, पारडा थुर	7
	दोवडा	धावडी, डोजा, फलोज, खेमपुर, पाल वसी, पूनाली	6
	गलियाकोट	डैयाना, दीवडा छोटा, गडा जसराजपुर, घाटा का गाँव, जोगपुर, रामसौर	6
जयपुर	चाकसू	बल्लुपुरा, झापदाकलां, कादेडा, करेड़ाखुर्द, कोटखावदा, कुम्हारियावास, नरपतपुरा/हरिपुरा, शिवदासपुरा, थली, ठिकरिया मीणान	10
	पावटा	भौनावास, भूरी भडाज, बुचारा, फतेहपुरा खुर्द, पावटा, पाथरेडी, सुन्दरपुरा दादा	7
	सांगानेर	दांतली, जगन्नाथपुरा, कलवाडा, कपूरावाला, खेडी गोकुलपुरा, लाखना, मदाऊ, मुहाना, नेवटा, विधानी	10
	साम्भरलेक	ढाणी नागान, ड्योढी, ईटावा, जयसिंहपुरा, काजीपुरा, खेजड़ावास, लोहरवाडा, लूनियावास, मलिकपुरा, नोरंगपुरा, पचकोडिया, रलावता	12
जालौर	चितलवाना	भाटकी, भीमगुड़ा, चितलवाना, डूंगरी, दूठवा, केरिया, सेसावा, वीरावा	8
	जसवन्तपुरा	बासड़ाधनजी, बूगांव, कलापुरा, पावली, पूरण, रामसीन, साविदर	7
जोधपुर	बालेसर	बालेसर दुर्गावता, बस्तवा, बेलवा राणाजी, देवनगर, दुग्गर, गोपालसर, कुईइन्दा	7
	बाप	चिमाणा, जाम्बा, कल्यानसिंह की सीड, कानसिंह की सीर, नरायणपुरा, नूरे की बुर्ज, टेकरा, टेपू	8
	बापिनी	आउ, देणोक, ईन्दों का बास, कडवा, मोटानिया नगर, ओमपुरा, रिडमलसर, सियोल नगर	8
	सेखला	भालू राजवा, डेरिया, केतूमदा, नाथडाउ, सुखमण्डला, ढाहिया	6
नागौर	जायल	गोगरियाली, जलनियासर, जोचीणा, खराट, रतंगा, रोट्ट, सोनेली, सुरपालिया, तंगाला, तरनऊ	10
	लाडनू	बालदू, छापरा, दुजर, इन्दिरापुरा, कसुम्बी अलीपुर, मीथरी, सांवरद, सुनारी	8
	मकराना	बेसरोली, भंइया कलां, चांडी, धननवाना, जाखली, जुसरी, मोदी चारना, नान्दौली मेरतिया, सरनवाडा	9
	नांवा	बरजन, भगवानपुरा, गोविन्दी, लुन्नवा, मुआना, पंचोटा	6
जिला परिषद 8	पंचायत समिति 27		ग्राम पंचायत 222

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.5; पृष्ठ 22)

मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों के अधिकारों एवं हकों के बारे में धारणा

कानूनों में प्रावधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को मनरेगा कई कानूनी अधिकारी प्रदान करता है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए अधिकारों और हकों पर श्रमिकों की संतुष्टि के स्तर का पता लगाने के लिए, अप्रैल से अक्टूबर 2017 के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा 218 चयनित ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण आयोजित कर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया था। 2,180 श्रमिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

लाभार्थी सर्वेक्षण और प्राप्त प्रतिक्रिया

पात्रता नम्बर	श्रमिकों के अधिकार	श्रमिक प्रतिक्रिया
1. जॉब कार्ड का अधिकार		
(i)	जॉब कार्ड का आधिपत्य	88 प्रतिशत के पास जॉब कार्ड स्वयं की अभिरक्षा में थे। 12 प्रतिशत के पास जॉब कार्ड स्वयं की अभिरक्षा में नहीं थे।
(ii)	नवीन जॉब कार्ड	56 प्रतिशत ने अपनी जेब से भुगतान किए बिना जॉब कार्ड प्राप्त किया था। 44 प्रतिशत ने अपनी जेब से भुगतान कर जॉब कार्ड प्राप्त किया था।
2. मांग के 15 दिवसों के भीतर कार्य प्राप्ति का अधिकार		
(i)	कार्य हेतु मांग	67 प्रतिशत ने मौखिक रूप से कार्य की मांग की थी तथापि कार्य मांग की बजाए उपलब्धता पर मुहैया कराया गया था। 33 प्रतिशत ने मांग पर कार्य उपलब्ध को संतोषजनक व्यक्त किया था।
(ii)	कार्य हेतु मांग के लिए विविध तंत्र	93 प्रतिशत ने कभी भी अन्य माध्यम (ग्राम पंचायत के अलावा) से कार्य की मांग नहीं की थी।
(iii)	पावती दिनांक	78 प्रतिशत को कार्य की मांग के संबंध में पावती नहीं दी गयी थी।
(iv)	कार्य आवंटन की सूचना	95 प्रतिशत ने कार्य के आवंटन की लिखित सूचना कभी भी प्राप्त नहीं की थी; तथापि कार्य के आवंटन के बारे में मेट ने मौखिक सूचना दी थी।
(v)	कार्य की निरन्तर उपलब्धता पर जोर	88 प्रतिशत ने बताया कि कार्य की निरन्तरता उपलब्धता को बजाय उपलब्धता पर मुहैया कराया गया। 12 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें कार्य आवंटन की सूचना प्राप्त हुई थी।
3. बेरोजगारी भत्ते का अधिकार		
		किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला।
4. योजना बनाने और परियोजना का शोल्फ तैयार करने का अधिकार		
		43 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने योजना बनाने और परियोजना के शोल्फ तैयार करने हेतु ग्राम सभा में कभी भी भाग नहीं लिया था।
5. पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर कार्य प्राप्ति का अधिकार		
		100 प्रतिशत ने पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर कार्य प्राप्त किया था।

पात्रता नम्बर	श्रमिकों के अधिकार	श्रमिक प्रतिक्रिया
6. कार्य-स्थल सुविधा का अधिकार		
(i)	चिकित्सा सहायता	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर चिकित्सा सहायता सुविधा नहीं प्रदान की गई थी।
(ii)	पेयजल	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर पेयजल सुविधा प्रदान की गई थी।
(iii)	छाया सुविधा	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर छाया सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(iv)	शिशु-गृह	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर शिशु-गृह सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(v)	5/6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर 5/6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल हेतु किसी भी व्यक्ति को नहीं लगाया था।
(vi)	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बीमा	97 प्रतिशत ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों हेतु उन्हें किसी भी योजना के तहत बीमा नहीं किया गया है।
7. मजदूरी दर अधिसूचित करने का अधिकार		
		70 प्रतिशत ने अवगत कराया कि उन्हें अधिसूचित मजदूरी दर के भुगतान की बजाए संयुक्त कार्य आधार के अनुसार एवं अनुपातिक रूप में मजदूरी प्राप्त हुई थी।
8. 15 दिवसों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार		
		64 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें 15 दिवसों के भीतर मजदूरी नहीं मिली। 36 प्रतिशत मजदूरी भुगतान के संबंध में सन्तुष्ट दिखाई दिए।
9. मजदूरी भुगतान में विलम्ब हेतु मुआवजे का अधिकार		
		73 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें मजदूरी भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी थी ।
10. शिकायतों का समयबद्ध समाधान		
		68 प्रतिशत को शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ सहायता लाइन नम्बरों की जानकारी नहीं थी।

श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में लाभार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया में नरेगा के क्रियान्वयन में (जॉब कार्ड के अधिकार और पांच किलोमीटर दायरे के भीतर कार्य प्राप्ति के अधिकार और कार्य-स्थल पर पेयजल सुविधाओं के अतिरिक्त) संतुष्टि की कमी थी।

परिशिष्ट-V

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.8.4; पृष्ठ 37)

तालाब/तालाई/नाडा/नाडी/जोहड़/नाला/माइनर/नहर/एनिकट आदि के खुदाई से संबंधित कार्यों का विवरण।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
1.	सिवाना/ सिवाना/ बाड़मेर	राडिया वाला में राता नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 12.79 लाख पूर्णता की दिनांक : मार्च 2013 व्यय : ₹ 12.59 लाख	नाडी को 4.5 मीटर गहराई तक खोदा जाना था; तथापि, केवल 0.3 मीटर तक खोदा गया था। इसलिए नाडी खोदने का प्रयोजन विफल रहा क्योंकि मानसून में भी नाडी में जल नहीं था।
2.	गोलिया/ सिवाना/ बाड़मेर	खोरीश्वर नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.93 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2015 व्यय : ₹ 9.67 लाख	नाडी का निर्माण पहाड़ी के तल पर किया गया था; तथापि वर्तमान में कोई निर्माण उपलब्ध नहीं था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य बह गया था। इस प्रकार जल संरक्षण हेतु नाडी निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।
3.	गोलिया/ सिवाना/ बाड़मेर	थारूदा नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.93 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 9.75 लाख	जलग्रहण क्षेत्र के बिना नाडी का निर्माण पहाड़ी के तल पर किया गया जिसके कारण जल एकत्र नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जल संरक्षण हेतु नाडी निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।
4.	सारेरी/ आसीद/ भीलवाड़ा	भैरू खेड़ा के पास बाहय दीवार सहित नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 9.92 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 6.24 लाख	बाहय दीवार कार्य निष्पादित नहीं किया गया और वहां कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था। इन कमियों के कारण नाडी में जल उपलब्ध नहीं था।
5.	मोतरास/ आसीद/ भीलवाड़ा	गुर्जरो का सेजा पर नाडी और बाहय दीवार का निर्माण स्वीकृति की दिनांक : दिसम्बर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.05 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 4.22 लाख	बाहय दीवार निर्मित नहीं थी और जलग्रहण क्षेत्र उपलब्ध नहीं था क्योंकि नाडी खातेदारी की भूमि से घिरी हुई थी।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
6.	विक्रमपुरा/ बिजोलिया/ भीलवाड़ा	उम्मेद राजजी का खेड़ा पर नाडी निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.83 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2015 व्यय : ₹ 7.65 लाख	नाडी और नाडी के चारों ओर निर्मित दीवार ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित थी, पत्थर पिचिंग और पक्का कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
7.	थाली/ चाकसू/ जयपुर	कर्यावाली नाडी खुदाई और पिचिंग निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 7.51 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 5.36 लाख	नाडी निर्माण में केवल मिट्टी के कार्य निष्पादित किए गए थे। चूंकि पत्थर कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे, नाडी क्षतिग्रस्त हो गई थी।
8.	नूरी के बुर्ज/ बाप/ जोधपुर	अजेरी पर सब का नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 20 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2015 व्यय : ₹ 7.09 लाख	नाडी की खुदाई हेतु अनुपयुक्त स्थल का चयन और जलग्रहण क्षेत्र नहीं होने के कारण जल एकत्र नहीं किया जा सका।
9.	रिडमलसर/ बापिनी/ जोधपुर	धोदवालिया में नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 15 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 9.70 लाख	नाडी का निर्माण धोरा में किया गया था, इसलिए इसमें न तो जल था और न ही जलग्रहण क्षेत्र था।
10.	आड/ बापिनी/ जोधपुर	गोगाजी में नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2015 स्वीकृत राशि : ₹ 20 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2016 व्यय : ₹ 18.16 लाख	नाडी में न तो जल था और न ही जलग्रहण क्षेत्र था।
11.	देनोक/ बापिनी/ जोधपुर	नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2015 स्वीकृत राशि : ₹ 20 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2016 व्यय : ₹ 19.61 लाख	नाडी में न तो जल था और न ही जलग्रहण क्षेत्र था।
12.	चांडी/ मकराना/ नागौर	निम्बोलिया नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 24.89 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 26.64 लाख	मौजूदा निम्बोली नाडी के जलग्रहण में अनुपयुक्त कार्य निष्पादित थे और मौजूदा नाडी के आने वाले जल स्रोत बाधित हुए थे।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
13.	फतेहपुरा खुर्द/ पावटा/ जयपुर	कांकरिया वाला जोहड़ पर जोहड़ खुदाई स्वीकृति की दिनांक : फरवरी 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.96 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 6.45 लाख	कार्य अपूर्ण था, तथापि एमआईएस में पूर्ण दिखाया गया था। जलग्रहण क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए। इसके अलावा, वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र के समीप एक दीवार निर्मित की गई जिससे जल-प्रवाह रोक दिया गया। इसलिए एक स्थायी परिसम्मिति का सृजन नहीं हुआ।
14.	भूरीबदाज/ पावटा/ जयपुर	भूरीबदाज, नाडावाला डूंगरी पर जोहड़ खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 10 लाख पूर्णता की दिनांक : जनवरी 2015 व्यय : ₹ 8.43 लाख	कार्य अपूर्ण था, तथापि एमआईएस में पूर्ण दिखाया गया था। केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
15.	चाचा नेहरू नगर/ सुन्दरपुरा/ दादा	पयोरोदा, जोहड़ खुदाई एवं सुरक्षा दीवार कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.96 लाख पूर्णता की दिनांक : अगस्त 2016 व्यय : ₹ 4.72 लाख	कार्य अपूर्ण था, तथापि एमआईएस में पूर्ण दिखाया गया था और सुरक्षा दीवार कार्य जोहड़ के साथ निर्मित नहीं की गई थी।
16.	जयसिंहपुरा/ साम्भरलेक/ जयपुर	शमशान भूमि पर तलाई खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 9.62 लाख पूर्णता की दिनांक : जनवरी 2014 व्यय : ₹ 5.84 लाख	तलाई का निर्माण अपूर्ण था और तलाई में जल का प्रवाह नहीं था। बिना जलग्रहण के मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
17.	धनीनागन/ साम्भरलेक/ जयपुर	बी.एड. महाविद्यालय के समीप तलाई खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : अक्टूबर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 7.94 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 6.05 लाख	तलाई के बजाए नाले का निर्माण किया गया जिससे जल का भण्डारण नहीं हुआ था। केवल मिट्टी के कार्य किए गए जिससे स्थायी परिसम्पतियां प्रभावित हुईं।
18.	दांतली/ सांगानेर/ जयपुर	सिस्यावास तलाई खुदाई कार्य (2712008218/डब्ल्यूसी/112908112920) स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 9.51 लाख पूर्णता की दिनांक : अप्रैल 2016 व्यय : ₹ 8.42 लाख	तलाई में जल का प्रवाह नहीं था। बिना जलग्रहण के मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
तालाब बावड़ी कार्य			
19.	छतरपुरा/ आसीद/ भीलवाड़ा	रामपुरा की सीमा पर जल संरक्षण ढांचा निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.51 लाख पूर्णता की दिनांक : मार्च 2017 व्यय : ₹ 4.92 लाख	केवल कच्चे कार्य निष्पादित किए गए थे। ढांचे में जल नहीं था और यह जलग्रहण क्षेत्र नहीं था।
20.	बरसनी/ आसीद/ भीलवाड़ा	गणेशपुरा तालाब की गहराई, बाहय दीवारों की मरम्मत और पक्की नहर निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मई 2016 स्वीकृत राशि : ₹ 6.99 लाख पूर्णता की दिनांक : उपलब्ध नहीं व्यय : ₹ 5.88 लाख	तालाब सूखा था और बाहय दीवार और नहर कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे। केवल कच्चे कार्य निष्पादित थे।
21.	दोजा/ दोवादा/ डूंगरपुर	हंगारी वाले तालाब के सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य पुलिया सहित स्वीकृति की दिनांक : फरवरी 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.68 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2013 व्यय : ₹ 9.60 लाख	तालाब वर्षा ऋतु में सूखे थे और सौन्दर्यीकरण के कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
22.	कोटखावदा/ चाकसू/ जयपुर	देवासी की ढाणी में तालाब खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2010 स्वीकृत राशि : ₹ 23.79 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 17.26 लाख	केवल मिट्टी की खुदाई की गई और पत्थर पिचिंग कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
23.	कुम्हारियावास/ चाकसू/ जयपुर	तालाब खुदाई, सुरक्षा दीवार और पत्थर पिचिंग कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2009 स्वीकृत राशि : ₹ 14 लाख पूर्णता की दिनांक : मई 2013 व्यय : ₹ 8.68 लाख	केवल मिट्टी के कार्य निष्पादित थे, पत्थर पिचिंग और सुरक्षा दीवार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे। साथ ही तालाब में असमान प्रकार के गड्ढे थे।
24.	शिवदासपुरा/ चाकसू/ जयपुर	सांसियों की ढाणी के समीप तालाब खुदाई स्वीकृति की दिनांक : दिसम्बर 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 8.48 लाख पूर्णता की दिनांक : अगस्त 2013 व्यय : ₹ 5.28 लाख	कार्य अपूर्ण था तथापि एमआईएस में 08.07.2013 में कार्य पूर्ण होना दिखाया गया था। पत्थर पिचिंग और सुरक्षा दीवार कार्य निष्पादित नहीं थे। कार्यों का दोहराव - उपर्युक्त तालाब के

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
			लिए पुनः 02.01.2017 को ₹ 7.42 लाख स्वीकृत किए गए जिसके विरुद्ध ₹ 2.48 लाख व्यय किए गए। इस प्रकार, तालाब स्थल पर ₹ 8.76 लाख के व्यय के पश्चात् भी स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं हुआ और मिट्टी के कार्यों का दोहराव हुआ।
25.	पचकोडिया/ साम्भरलेक/ जयपुर	ग्राम पचकोडिया में तालाब खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2010 स्वीकृत राशि : ₹ 20.20 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 15.91 लाख	बिना जलग्रहण के केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
26.	खेजरावास/ साम्भरलेक/ जयपुर	जोगियों की डेयरी में तालाब खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 9.06 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2013 व्यय : ₹ 6.71 लाख	बिना जलग्रहण के केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
27.	हरीपुरा/ चाकसू/ जयपुर	दयाल सागर मुन्दराहेड़ी में तालाब खुदाई कार्य (2712013385/डब्ल्यूसी/112908132561) स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 9.97 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 8.03 लाख	तालाब की मिट्टी की एक तरफ की दीवार (पाल) क्षतिग्रस्त थी, जिसने तालाब में जल संग्रहण असंभव कर दिया था।
चेक बांध का निर्माण कार्य			
28.	गणेशपुर/ असपुर/ डूंगरपुर	कटरवा उपला पर राजकीय भूमि पर चेक बांध निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : दिसम्बर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.81 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 3.91 लाख	चेक बांध छोटे पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया था, इस प्रकार इसकी कम मजबूती थी। चेक बांध में जल नहीं था।
29.	घाटा का गांव/ गलियाकोट/ डूंगरपुर	राजकीय भूमि पर हंगिया पहला पर पक्का चेक बांध निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 8.63 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2014 व्यय : ₹ 7.67 लाख	पहाड़ी और मिट्टी के तल पर मिट्टी के साथ केवल कच्चा बांध का निर्माण किया गया था। यह प्रतीत होता है कि कार्य बह गया था और बांध में पानी नहीं था।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
30.	दयाना/ गलियाकोट/ डूंगरपुर	नई तलावड़ी हेतु कच्चा बांध निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 8.58 लाख पूर्णता की दिनांक : दिसम्बर 2013 व्यय : ₹ 8.08 लाख	निर्मित चेक बांध टूट गया था और वर्षा का जल संग्रहित नहीं था।
31.	कदेरा/ चाकसू/ जयपुर	पिचिंग सहित बांध खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2008 स्वीकृत राशि : ₹ 24.35 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2013 व्यय : ₹ 18.85 लाख	पूर्णता प्रमाण-पत्र के बिना, एमआईएस में कार्य पूर्ण होना दिखाया गया था। केवल मिट्टी कार्य निष्पादित किए थे और पत्थर पिचिंग कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
32.	रामसीन/ जसवन्तपुरा/ जालोर	अतिप्रवाह जल के संग्रहण हेतु सुरक्षा दीवार सहित बांध निर्माण स्वीकृति की दिनांक : जून 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 24.67 लाख पूर्णता की दिनांक : दिसम्बर 2014 व्यय : ₹ 6.06 लाख	बांध की बजाए नदी के किनारे एक 359 फीट की दीवार का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, बांध से संबंधित अन्य कार्य भी पूर्ण नहीं थे।
नहर का निर्माण कार्य			
33.	बदनोर/ आसीद/ भीलवाड़ा	जैतसागर तालाब से प्रतापपुरा तालाब तक पक्का कार्य और नहर की मरम्मत कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.58 लाख पूर्णता की दिनांक : मई 2014 व्यय : ₹ 5.44 लाख	मरम्मत कार्य की बजाए कच्ची नहर खोदी गई थी।
34.	राजा जी का खेड़ा/ मांडल/ भीलवाड़ा	फुटिया तालाब से गांव की तरफ नहर का निर्माण स्वीकृति की दिनांक : फरवरी 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.90 लाख पूर्णता की दिनांक : मार्च 2016 व्यय : ₹ 8.69 लाख	फुटिया तालाब नहर 20 फीट की सीमा तक क्षतिग्रस्त थी, इसलिए नहर उपयोग में नहीं आ रही थी।
35.	असपुर/ असपुर/ डूंगरपुर	नाला निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2010 स्वीकृत राशि : ₹ 9.84 लाख पूर्णता की दिनांक : अक्टूबर 2012 व्यय : ₹ 9.84 लाख	नाला मिट्टी और कचरे से अवरूद्ध था।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
36.	दोजा/ दोवाडा/ डूंगरपुर	घोडच्चा माइनर से सौन्दर्यीकरण कार्य स्वीकृति की दिनांक : अक्टूबर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 5.49 लाख पूर्णता की दिनांक : मई 2014 व्यय : ₹ 4.84 लाख	रेत और पत्थरों के टुकड़ों के कारण नहर अवरूद्ध थी जोकि वर्षा ऋतु के दौरान जल अतिप्रवाह का मूल कारण थी।
37.	पाउटा/ पावटा/ जयपुर	शिवनगर, खारनाली खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 10.69 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 6.87 लाख	नाला खुदाई कार्य नाले के साथ साइड दीवारों के निर्माण के बिना निष्पादित किया गया था।
38.	मुन्दतरा सोमता/ जसवन्तपुरा/ जालोर	सिंधरा मुख्य नहर के सोमाता वितरक की मरम्मत स्वीकृति की दिनांक : अक्टूबर 2015 स्वीकृत राशि : ₹ 33.99 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 7.90 लाख	यह पाया गया कि बांदी सिंधरा बांध के नहर की कुल लम्बाई 17105 मीटर थी। 2015 में आरडी 4680 से 5730 मीटर तक नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। अग्रेतर यह पाया गया कि आरडी 5730 से आगे मरम्मत कार्य निष्पादित किए गए। जल के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु क्षतिग्रस्त क्षेत्र में मरम्मत कार्य निष्पादित किए जाने चाहिए थे।
एनीकट का निर्माण कार्य			
39.	बारसनी/ आसीद/ भीलवाड़ा	हाजियास रोड़ पर एनीकट, बाहय दीवार और मोरी निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मई 2016 स्वीकृत राशि : ₹ 6.93 लाख पूर्णता की दिनांक : उपलब्ध नहीं व्यय : ₹ 5.72 लाख	केवल कच्चा कार्य निष्पादित किया गया और मोरी का निर्माण नहीं किया गया। बाहय दीवार पहले से अस्तित्व में थी।
40.	हरीपुरा/ चाकसू/ जयपुर	ग्राम मुन्दराहेड़ी में एनीकट खुदाई स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2009 स्वीकृत राशि : ₹ 24.94 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2016 व्यय : ₹ 19.90 लाख	स्वीकृति अनुसार एनीकट की बजाए केवल मिट्टी की दीवार का निर्माण किया गया था। इसलिए जल को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.9.3; पृष्ठ 46)

मजदूरी के विलम्ब भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान

वर्ष	विलम्बित क्षतिपूर्ति					अस्वीकृति के कारण (दिवसों में)					विलम्बित क्षतिपूर्ति भुगतान (₹ में)	बकाया (₹ में)
	भुगतान योग्य (विलम्बित दिवसों में)	भुगतान योग्य राशि (₹ में)	स्वीकृत (विलम्बित दिवसों में)	स्वीकृत राशि	सत्यापित की जाने वाली राशि	अपर्याप्त निधि	प्राकृतिक आपदाएं	क्षतिपूर्ति बकाया नहीं	अन्य	कुल अस्वीकृत दिवस		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14 (6-13)
2013-14	119553702	59706372	521	304	34	13802161	46755876	47858052	11136792	119552881	23	281
2014-15	143981542	72603671	532146	323326	76075	547754	38148197	19407827	85144608	143248386	290030	33296
2015-16	195302344	111064515	3677000	2067435	232176	853854	103171634	47098410	40118204	191242102	2025437	41998
2016-17	69104716	44593740	4368751	3217491	-381203	शून्य	28917054	21359481	15106818	65383353	3140779	76712
योग	527942304	287968298	8578418	5608556	-72918	15203769	216992761	135723770	151506422	519426722	5456269	152287
			कुल भुगतान योग्य विलम्बित दिवसों का 1.62 प्रतिशत			कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 2.93 प्रतिशत	कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 41.78 प्रतिशत	कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 26.13 प्रतिशत	कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 29.16 प्रतिशत	कुल भुगतान योग्य विलम्बित दिवसों का 98.38 प्रतिशत		

स्रोत : 4 जनवरी 2018 को सूचना प्रबन्धन प्रणाली नरेगासॉफ्ट के आंकड़े।

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 71)

जिला परिषद, भीलवाड़ा और राजसमंद में नाली/सी.सी. ब्लॉक/पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित पांच कार्यों का विवरण।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अनिष्पादित कार्यों पर भारत राशि
1.	कालेतारा सड़क से रणजीत सिंह आवास तक सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत कोकरखेड़ा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	सितम्बर 2013/ फरवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क की आधार परत) सड़क बिछायी हुई नहीं थी। यद्यपि, माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट की 74.71 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.49
2.	मनीष जोशी आवास से मुख्य बाजार तक सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क (ग्राम पंचायत कोकरखेड़ा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	सितम्बर 2013/ फरवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क की आधार परत) सड़क बिछायी हुई नहीं थी। यद्यपि, माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट की 76.45 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.53
3.	भारत सिंह गुढ़ा ग्राम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से दरवाजा तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत परदी, पंचायत समिति, देवगढ़, जिला परिषद, राजसमंद)	अगस्त 2013/ जनवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 4.00 व्यय : ₹ 3.99	आधार परत बिछायी नहीं गई थी जबकि माप पुस्तिका में 66.44 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.63
4.	नाली कार्य के साथ पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत, धुनवाला, पंचायत समिति, मांडल, जिला परिषद, भीलवाड़ा)	दिसम्बर 2014/ मई 2015 स्वीकृति : ₹ 3.50 व्यय : ₹ 3.49	पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क की आधार परत) सड़क बिछायी हुई नहीं थी। यद्यपि, माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट की 66.54 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.49
5.	ग्राम घनवाल में चौराहा से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गलेता तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत, फरारा, पंचायत समिति, राजसमंद, जिला परिषद, राजसमंद)	दिसम्बर 2013/ सितम्बर 2014 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 9.85	आधार परत बिछायी नहीं गई थी जबकि माप पुस्तिका में 160.83 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	3.49
	योग			9.63

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 71)

जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में नाली/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित आठ कार्यों का विवरण।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अनिष्पादित कार्यों पर भारत राशि
1.	कालेतारा से अदी मगरी तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक निर्माण (ग्राम पंचायत कोकरखेड़ा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ जनवरी 2016 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.85	माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट चार इंच अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट परत दो इंच कम निष्पादित थी।	0.67
2.	कोडादाई ग्राम में नाली सहित सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक निर्माण (ग्राम पंचायत कुशलपुरा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ दिसम्बर 2015 स्वीकृति : ₹ 8.00 व्यय : ₹ 7.81	माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट 3.48 इंच अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट परत 1.48 इंच कम निष्पादित थी।	0.80
3.	हीरा लाल गुर्जर आवास से लाच्छू गुर्जर आवास तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत जलारिया, पंचायत समिति आसीद, जिला परिषद भीलवाड़ा)	दिसम्बर 2014/ जून 2015 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 10.00	माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट छः इंच अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट तीन इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट परत तीन इंच कम निष्पादित थी।	1.65
4.	दुर्गा सिंह आवास से राम लाल आवास तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत नरेली,	अक्टूबर 2014/ सितम्बर 2015 स्वीकृति : ₹ 6.00 व्यय : ₹ 5.98	औसत 3.80 इंच पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट माप पुस्तिका में अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट	0.81

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अनिष्पादित कार्यों पर भारित राशि
	पंचायत समिति मांडल, जिला परिषद भीलवाड़ा)		कंक्रीट परत 1.80 इंच कम निष्पादित थी।	
5.	ग्राम जीरन में मुख्य सड़क से भील बस्ती हुए विद्यालय तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत, जीरन, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	2013-14/ दिसम्बर 2013 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.51	माप पुस्तिका में आधार और ऊपरी परत की मौटाई (प्रत्येक परत की औसत तीन इंच) छः इंच अभिलिखित थी जबकि यह चार इंच पाई गई थी। इस प्रकार आधार और ऊपरी परत दो इंच कम निष्पादित थी।	1.53
6.	पक्की सड़क से सीमर माता जी (स्वादरी बी) तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत स्वादरी, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2014/ मार्च 2015 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.69	माप पुस्तिका में ऊपरी परत पांच इंच अभिलिखित थी जबकि ऊपरी परत तीन इंच पाई गई थी। इस प्रकार ऊपरी परत दो इंच कम निष्पादित थी।	1.35
7.	खखरदा में लच्छूजी आवास से राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत कलेसरिया, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2013/ सितम्बर 2013 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.97	माप पुस्तिका में ऊपरी परत औसत 3.5 इंच अभिलिखित थी जबकि ऊपरी परत दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार ऊपरी परत 1.5 इंच कम निष्पादित थी।	1.18
8.	बिजाली आवास से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत सिरयारी, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, जिला परिषद पाली)	दिसम्बर 2014/ जून 2016 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	माप पुस्तिका में आधार परत चार इंच (1:4:8) अभिलिखित थी जबकि यह तीन इंच पाई गई थी। इस प्रकार आधार परत एक इंच (1:4:8) कम निष्पादित थी।	0.50
	योग			8.49

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 72)

जिला परिषद, राजसमंद में नाली/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित आठ कार्यों का विवरण।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अवास्तविक राशि
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुर्जरों के राहत के सामने से किशन सिंह आवास तक नाली सहित इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत फरारा, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2013/ जनवरी 2015 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 10.00	सड़क 1756 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 2044 फीट अभिलिखित थी। 288 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	1.42
2.	राजीव गांधी सेवा केन्द्र के समीप नाली सहित इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत मुन्डोल, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2013/ जनवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	सड़क 527 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 639 फीट अभिलिखित थी। 112 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.88
3.	मुख्य सड़क से भील बस्ती तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत बोरराज, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2013/ फरवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	सड़क 692 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 888.5 फीट अभिलिखित थी। 196.5 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	1.10
4.	नदी से ईशरजी का खेड़ा तक सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत भीम, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2013/ जून 2014 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 9.97	सड़क 1115 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 2380.50 फीट अभिलिखित थी। 1265.50 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	5.30
5.	केराराम आवास से खेड़ा की रेल, ग्राम सेलमा तक सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत बाली, पंचायत	मई 2014/ दिसम्बर 2014 स्वीकृति : ₹ 4.00 व्यय : ₹ 4.00	सड़क 690 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 1059.75 फीट अभिलिखित थी।	1.40

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अवास्तविक राशि
	समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)		369.75 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	
6.	चारभुजा मन्दिर से आंगनवाड़ी गलेता, ग्राम धनवाल तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत फरारा, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ दिसम्बर 2015 स्वीकृति : ₹ 7.00 व्यय : ₹ 6.92	सड़क 798 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 921.35 फीट अभिलिखित थी। 123.35 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.93
7.	रावाली पोल से बस स्टैण्ड, सलियों का खेड़ा तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत अन्जना, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2014/ उपलब्ध नहीं स्वीकृति : ₹ 4.00 व्यय : ₹ 3.99	सड़क 182 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 240.3 फीट अभिलिखित थी। 58.30 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.97
8.	उपरला जेलवा से हनुमान मन्दिर गंगा की घाटी तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत थानेता, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ जनवरी 2016 स्वीकृति : ₹ 8.00 व्यय : ₹ 7.76	सड़क 964 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 1174 फीट अभिलिखित थी। 210 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.94
योग				12.94

परिशिष्ट-X

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 72)

निष्फल निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	नाम			दिनांक		स्वीकृत राशि	व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
		ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	स्वीकृति	पूर्णता			
1.	डोल का वाडिया में पुस्तकालय भवन निर्माण	चैनपुरा	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	जून 2014	4.00	4.00	जून 2014 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
2.	मरेवदा के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय निर्माण	जलारिया	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	नवम्बर 2013	4.00	3.65	पुस्तकालय अनुपयोगी पड़ा था।
3.	चौहानियों की कमरी में राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	उमरी	मन्डा	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	अक्टूबर 2015	8.00	8.00	अक्टूबर 2015 से उप स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।
4.	सुलिया खेड़ा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	गोवर्धनपुरा	मांडल	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	मार्च 2014	8.00	7.90	मार्च 2014 से उप स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।
5.	जीरण में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	जीरण	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2013	अगस्त 2014	7.58	5.64	अगस्त 2014 से उप स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों के पदस्थापन एवं संबंधित विभागों में हस्तान्तरण के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।
6.	आयुर्वेद भवन निर्माण	चैनपुरा	आसीद	भीलवाड़ा	फरवरी 2012	जनवरी 2013	5.00	4.43	भवन संबंधित विभाग को सौंपा नहीं गया था।
7.	राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, उमारी का निर्माण	उमारी	मांडल	भीलवाड़ा	अक्टूबर 2012	अगस्त 2016	5.00	4.87	अक्टूबर 2016 से अस्पताल भवन अधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	नाम			दिनांक		स्वीकृत राशि	व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
		ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	स्वीकृति	पूर्णता			
8.	ग्राम पंचायत तुन्कडा में स्नानघर निर्माण	बामन	राजसमंद	राजसमंद	जून 2015	अक्टूबर 2016	2.00	2.00	निर्मित स्नानघर पेयजल आपूर्ति के अभाव में अप्रयुक्त पड़ा था।
9.	सवाईपुरा में सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर, बोर मोटर और जल टैंक निर्माण	छतरपुरा	आसीद	भीलवाड़ा	मार्च 2015	अक्टूबर 2016	5.00	3.13	अगस्त 2016 से विद्युत कनेक्शन के अभाव में कार्य अनुपयोगी पड़े थे।
10.	नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं दुकानों का निर्माण	औड़ीयाना	आसीद	भीलवाड़ा	दिसम्बर 2014	अगस्त 2016	7.00	7.00	अगस्त 2016 से आवंटन के अभाव में दुकानें अनुपयोगी पड़ी थी।
11.	सुलभ काम्प्लेक्स का निर्माण	बदनौर	आसीद	भीलवाड़ा	दिसम्बर 2014	मार्च 2017	5.00	5.00	सुलभ काम्प्लेक्स अनुपयोगी पड़े थे।
12.	ग्राम मोगर में दीवार, मोटर, विद्युत कनेक्शन एवं पाइप-लाइन बिछाने का निर्माण	मोगर	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	जून 2014	10.00	9.98	विद्युत कनेक्शन के अभाव में कार्य अनुपयोगी (जून 2014) पड़े थे।
13.	मोती सिंह के आवास के सामने सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, सड़क का वाडिया	शिवपुर	मांडल	भीलवाड़ा	अक्टूबर 2013	अक्टूबर 2015	3.00	2.88	अक्टूबर 2015 से विद्युत और जन सुविधाओं के अभाव में सामुदायिक केन्द्र अनुपयोगी पड़ा था।
14.	पुस्तकालय भवन का निर्माण	चैनपुरा	आसिंद	भीलवाड़ा	अक्टूबर 2013	अप्रैल 2014	6.00	6.00	अप्रैल 2014 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
15.	माताजी स्थान मोहारा के समीप पुस्तकालय भवन का निर्माण	जलारिया	आसिंद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	नवम्बर 2013	3.00	2.99	नवम्बर 2013 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
16.	भगवानपुरा ग्राम में पुस्तकालय भवन निर्माण	औड़ीयाना	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	जून 2014	3.00	2.40	जून 2014 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
17.	पुस्तकालय भवन निर्माण	जलारिया	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	नवम्बर 2013	4.00	3.97	नवम्बर 2013 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
योग							89.58	83.84	
₹ करोड़ में							0.90	0.84	

परिशिष्ट-XI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 72)

इच्छित उद्देश्यों में निष्फल रहे निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	नाम			दिनांक		स्वीकृत राशि	व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
		ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	स्वीकृति	पूर्णता			
1.	जीएलआर कार्य का निर्माण	सारन	मारवाड़ जंक्शन	पाली	सितम्बर 2013	अगस्त 2014	3.00	2.31	अगस्त 2014 से जीएलआर का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
2.	पाइपलाइन सहित जल टैंक (जीएलआर) का निर्माण	सारन	मारवाड़ जंक्शन	पाली	जनवरी 2014	सितम्बर 2014	5.00	5.00	सितम्बर 2014 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
3.	जल योजना का निर्माण	मोगर	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	दिसम्बर 2013	3.00	3.00	दिसम्बर 2013 से जल योजना का स्रोत से संबंध नहीं था और मोटर पम्प स्रोत में स्थापित नहीं किया गया था।
4.	जल टैंक (जीएलआर) का निर्माण	करेदा	मांडल	भीलवाड़ा	दिसम्बर 2014	मार्च 2015	2.00	1.64	मार्च 2015 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
5.	जल टैंक का निर्माण	पारदी	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2016	दिसम्बर 2016	2.00	2.00	दिसम्बर 2016 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
6.	जल टैंक का निर्माण	कुण्डवा	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2016	अक्टूबर 2016	3.00	2.98	अक्टूबर 2016 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
7.	जल टैंक का निर्माण	कुण्डवा	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2016	अक्टूबर 2016	6.00	5.98	अक्टूबर 2016 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
योग							24.00	22.91	

परिशिष्ट-XII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 77)

पंचायत समिति, शिव (बाड़मेर) में दुकानों के संबंध में बकाया किराए का विवरण

(राशि ₹ में)

दुकान नम्बर	दुकान आवंटन की दिनांक	किराए की अवधि	कुल उपार्जित किराया	किराया भुगतान	बकाया किराया
1	23.06.2003	23.06.2003 से 22.12.2016	7,28,984*	2,31,369	4,97,615
2	18.03.2002	18.03.2002 से 05.12.2016	6,30,147	1,91,313	4,38,834
3	06.12.2007	06.12.2007 से 05.12.2016	1,83,572	68,870	1,14,702
4	05.05.2001	05.05.2001 से 04.12.2016	5,98,291	1,18,199	4,80,092
5	01.04.2005	01.04.2005 से 31.03.2016	12,10,672	1,12,624	10,98,048
6	01.04.2005	01.04.2005 से 31.03.2006	8,34,526	5,06,741	3,27,785
7	18.03.2005	01.04.2005 से 31.12.2016	6,50,362	28,292	6,22,070
8	05.06.2007	05.06.2007 से 31.12.2016	1,35,678	77,300	58,378
9	18.03.2005	18.03.2005 से 31.12.2016	7,25,420	1,83,833	5,41,587
10	29.12.2006	23.12.2006 से 31.12.2016	3,59,912	86,056	2,73,856
11	03.08.2006	03.08.2006 से 02.12.2006	7,13,840	2,15,132	4,98,708
12	15.04.2011	15.04.2011 से 14.12.2016	12,32,132	1,56,000	10,76,132
13	15.04.2011	15.04.2011 से 14.12.2016	12,53,532	2,61,175	9,92,357
14	15.04.2011	15.04.2011 से 15.12.2016	19,52,456	2,47,200	17,05,256
15	18.04.2014	18.04.2014 से 17.12.2016	2,26,404	68,400	1,58,004
16	18.04.2014	18.04.2014 से 17.12.2016	45,344	15,600	29,744
योग			1,14,81,272	25,68,104	89,13,168
₹ लाख में			114.81	25.68	89.13

* 23.06.2003 से दुकान का मासिक किराया ₹ 1,335 प्रति माह (मासिक किराए में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि एवं उसके पश्चात् 20 प्रतिशत की वृद्धि)।

दुकान नम्बर 1 के उपार्जित किराए की गणना: 23.06.2003 से 22.06.2004: ₹ 1,335 प्रति माह x 12 माह = ₹ 16,020; 23.06.2004 से 22.06.2005: ₹ 1,468 प्रति माह (₹ 1,335 + 10 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 17,622; 23.06.2005 से 22.06.2006: ₹ 1,616 प्रति माह (₹ 1,468 + 10 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 19,392; 23.06.2006 से 22.06.2007: ₹ 1,939 प्रति माह (₹ 1,616 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 23,268; 23.06.2007 से 22.06.2008: ₹ 2,327 प्रति माह (₹ 1,939 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 27,924; 23.06.2008 से 22.06.2009: ₹ 2,792 प्रति माह (₹ 2,327 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 33,504; 23.06.2009 से 22.06.2010: ₹ 3,350 प्रति माह (₹ 2,792 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 40,200; 23.06.2010 से 22.06.2011: ₹ 4,020 प्रति माह (₹ 3,350 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 48,240; 23.06.2011 से 22.06.2012: ₹ 4,824 प्रति माह (₹ 4,020 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 57,888; 23.06.2012 से 22.06.2013: ₹ 5,789 प्रति माह (₹ 4,824 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 69,468; 23.06.2013 से 22.06.2014: ₹ 6,947 प्रति माह (₹ 5,789 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 83,364; 23.06.2014 से 22.06.2015: ₹ 8,336 प्रति माह (₹ 6,947 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 1,00,032; 23.06.2015 से 22.06.2016: ₹ 10,003 प्रति माह (₹ 8,346 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 1,20,038; 23.06.2016 से 22.12.2017: ₹ 12,004 प्रति माह (₹ 10,003 + 20 प्रतिशत) x 6 माह = ₹ 72,024 (कुल : ₹ 7,28,984)।

परिशिष्ट- XIII

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.1; पृष्ठ 81)

संविधान में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण	
अ. शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कार्य	
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन
2.	कच्ची बस्ती सुधार एवं उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	कब्र एवं कब्रिस्तान इत्यादि
5.	जन्म-मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आँकड़ें
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं
7.	पशुवध गृहों का नियमन
8.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना
9.	सड़कें एवं पुल
10.	जन स्वास्थ्य एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
11.	अग्निशमन सेवाएं
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पहलुओं का उन्नयन
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान
14.	विकलांगों एवं मानसिक विमन्दिता लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
ब. कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तांतरित किए जाने हैं	
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन
2.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति

परिशिष्ट-XIV

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.3; पृष्ठ 99)

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

अ. शहरी स्थानीय निकाय

क्रम संख्या	नाम					
	जिला	नगर निगम	नगर परिषद	नगरपालिका मंडल		
				वर्ग-II	वर्ग-III	वर्ग-IV
1.	बारां		बारां	अन्ता	-	मंगरोल
2.	भरतपुर	-	-	-	नदबई	नगर
3.	बीकानेर	बीकानेर	-	-	नोखा	देशनोक
4.	जयपुर	जयपुर	-	-	सांभर	विराट नगर
5.	झालावाड	-	झालावाड	-	भवानी मंडी	पिडावा
6.	करौली	-	करौली	-	-	टोडाभीम
7.	पाली	-	पाली	सुमेरपुर	सोजत सिटी	जैतारण
8.	उदयपुर	-	-	-	फतेह नगर	सलूमबर

ब. पंचायती राज संस्थाएं

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों के नाम
1.	बारां	छबडा	भीलवाडा नीचा, हान्या हेरी, मुंडाकिया एवं मुंडला (4)
2.	भरतपुर	बयाना	बाजना, कपूरा मालूका, खान खेरा, महमदपुरा, महरावर, नरोली एवं परुआ (7)
3.	बीकानेर	नोखा	बीकासर, गोंडूसर, रायसर, सोमलसर एवं सूरपुरा (5)
4.	जयपुर	शाहपुरा	बीडारा, छरसा, मनोहरपुर, नाथवाला एवं सुराणा (5)
5.	झालावाड	खानपुर	जोल्पा, खंडी, मालन वसा, मूंडला, पीपलाज एवं सूमर (6)
6.	करौली	हिंडौन	अलीपुरा, डिंडोरा, खरेटा, खेरली गुजर, कोटडी, महू इब्राहिमपुर, पटौदा एवं टोडूपुरा (8)
7.	पाली	रोहत	दीवांडी, गेलावास एवं सिंगारी (3)
8.	उदयपुर	गिरवा	बरापल, दोदावली, कानपुर, पोपलती एवं सवीना (ग्रामीण)(5)

परिशिष्ट- XV

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

प्रीमियम प्रभार, लीज किराए एवं बाह्य विकास प्रभार की वसूली के अभाव का विवरण।

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	कुल क्षेत्रफल		कृषि से गैर-कृषि में परिवर्तित भूमि का क्षेत्र (वर्ग गज में)	मांग नोटिस जारी करने की दिनांक	प्रीमियम दर** (प्रति वर्ग गज)	प्रीमियम प्रभार		वसूली योग्य लीज किराया*** (कॉलम 8 x कॉलम 4 x 2.5 प्रतिशत x 8 वर्ष)	बाह्य विकास प्रभार		कुल वसूली योग्य राशि (कॉलम 8 + कॉलम 10 + कॉलम 11)	कुल वसूली राशि (कॉलम 9 + कॉलम 12)	कम वसूली (कॉलम 13 - कॉलम 14)
		वर्ग गज में*	वर्ग मीटर में*				वसूली योग्य (कॉलम 5 x कॉलम 7)	वसूली		वसूली योग्य (कॉलम 4 x ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर)	वसूली			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अचल वाटिका	5,740.50	4,799.06	2,865.63	11.03.2013	60	1,71,938	17,193	1,37,550	4,79,906	-	7,89,394	17,193	7,72,201
2.	गोल्डन सिटी	8,000	6,688	5,000.47	11.03.2013	60	3,00,028	30,003	2,40,022	6,68,800	-	12,08,850	30,003	11,78,847
3.	बांके बिहारी कॉलोनी	32,763	27,389.87	17,231	26.07.2013	60	10,33,860	12,45,332	8,27,088	27,38,987	-	45,99,935	12,45,332	33,54,603
4.	अचल नगर	24,756.26	20,696.23	14,748.30	11.03.2013	60	8,84,898	88,490	7,07,918	20,69,623	-	36,62,439	88,490	35,73,949
5.	श्याम वाटिका	21,271	17,782.56	12,673	02.07.2014	63	7,98,399	1,29,228	6,38,719	17,78,256	5,98,332	32,15,374	7,27,560	24,87,814
	योग						31,89,123	15,10,246	25,51,297	77,35,572	5,98,332	1,34,75,992	21,08,578	1,13,67,414
					₹ करोड़ में		0.32	0.15	0.26	0.77	0.06	1.35	0.21	1.14

* एक वर्ग गज 0.836 वर्ग मीटर

** प्रीमियम दर 03.09.2012 की अधिसूचना अनुसार 31.03.2014 तक प्रीमियम दर ₹ 60 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज तक के आकार के भूखंडों और 5000 वर्ग गज से ऊपर की आवासीय योजनाओं के लिए) और ₹ 90 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज से अधिक आकार के भूखंडों के लिए) एवं इसके पश्चात् प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

*** लीज किराया : आवासीय समूह आवास और अन्य योजनाओं के नियम 10 (ii) (अ) के अनुसार - प्रीमियम प्रभार के चार गुना पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (आठ वर्षों के लिए एक बारीय लीज राशि का 20 प्रतिशत) अर्थात् लीज किराया = 2.5 प्रतिशत (₹ 1,71,938 x चार गुना) x आठ वर्ष = ₹ 1,37,550

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

नगर परिषद, जालोर द्वारा प्रीमियम राशि और नगरीय निर्धारण (लीज किराए) की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	प्रकरण नम्बर/ वर्ष	अनुमोदन की दिनांक	कृषि से आवासीय/ वाणिज्यिक हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन	परिवर्तित भूखंड का क्षेत्र (वर्ग गज में)	प्रीमियम दर (प्रति वर्ग गज)		वसूलनीय राशि			वसूली राशि			कम वसूली			कम मूल्यांकन का कारण
					लागू दर	ली गई दर**	प्रीमियम (कॉलम 5 x कॉलम 7)	लीज किराया*	योग	प्रीमियम	लीज किराया	योग	प्रीमियम (कॉलम 8 - कॉलम 11)	लीज किराया (कॉलम 9 - कॉलम 12)	योग (कॉलम 14 + कॉलम 15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	13/ 2013-14	06.03.2014	आवासीय	3,825.77	90	99 (90 + 10 प्रतिशत)	3,78,751	3,03,000	6,81,751	3,44,319	2,75,455	6,19,774	34,432	27,545	61,977	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
2.	45/ 2013-14	09.02.2015	-वही-	3,228	90	104 (90 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	3,35,712	2,68,569	6,04,281	2,90,520	2,32,416	5,22,936	45,192	36,153	81,345	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार सह जिला स्तरीय समिति दर 5 प्रतिशत
3.	44/ 2013-14	24.09.2013	-वही-	3,226	90	99 (90 + 10 प्रतिशत)	3,19,374	2,55,499	5,74,873	2,90,520	2,32,416	5,22,936	28,854	23,083	51,937	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
4.	43/ 2013-14	24.09.2013	-वही-	3,228	90	99 (90 + 10 प्रतिशत)	3,19,572	2,55,658	5,75,230	2,90,520	2,32,416	5,22,936	29,052	23,242	52,294	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
5.	6/ 2013-14	15.07.2013	-वही-	4,373.41	60	99 (90 + 10 प्रतिशत)	4,32,968	3,46,374	7,79,342	2,62,405	2,09,920	4,72,325	1,70,563	1,36,454	3,07,017	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल और 200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
6.	7/ 2013-14	11.03.2013	-वही-	4,359.05	60	99 (90 + 10 प्रतिशत)	4,31,546	3,45,237	7,76,783	2,61,543	2,09,232	4,70,775	1,70,003	1,36,005	3,06,008	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल और 200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
7.	49/ 2013-14	06.03.2014	आवासीय	355.83	60	90	32,025	25,620	57,645	21,350	17,080	38,430	10,675	8,540	19,215	200 वर्ग गज कम

	2012-13															दर से गणना की गई।
8.	70/ 2013-14	08.10.2014	-वही-	634.66	63	105 (90 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	66,005	52,804	1,18,809	46,331	37,065	83,396	19,674	15,739	35,413	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई और कॉर्नर शुल्क वसूल नहीं किया।
9.	47/ 2013-14	13.10.2014	-वही-	266.66	63	105 (90 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	27,733	22,186	49,919	19,467	15,574	35,041	8,266	6,612	14,878	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई और कॉर्नर शुल्क वसूल नहीं किया।
10.	157/ 2012-13	17.10.2014	-वही-	350	63	95 (90 + 5 प्रतिशत)	33,250	26,600	59,850	22,050	17,640	39,690	11,200	8,960	20,160	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
11.	1159/ 2012-13	28.10.2014	-वही-	658	63	95 (90 + 5 प्रतिशत)	62,510	50,008	1,12,518	41,454	33,163	74,617	21,056	16,845	37,901	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
12.	226/ 2013-14	23.09.2014	आवासीय (समूह आवासीय)	14,951.95	63	69 (60 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	10,31,685	8,25,348	18,57,033	9,41,973	7,53,578	16,95,551	89,712	71,770	1,61,482	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
13.	112/ 2012-13	25.02.2015	औद्योगिक	13,289.89 (5,000 + 8,289.89)	63 एवं 32	70 एवं 35 (60 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत) और इसका 50 प्रतिशत	6,40,146 (3,50,000 + 2,90,146)	1,02,4234 (प्रीमियम x 4 गुना x 5 प्रतिशत x 8 वर्ष)	16,64,380	5,80,277	4,64,224	10,44,501	59,869	5,60,010	6,19,879	-वही-
14.	53/ 2014-15	25.02.2015	वाणिज्यिक	1,912.89	95	416 (360 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	7,95,762	12,73,219 (प्रीमियम x 4 गुना x 5 प्रतिशत x 8 वर्ष)	20,68,981	1,81,725	1,45,380	3,27,105	6,14,037	11,27,839	1,74,1876	-वही- एवं वाणिज्यिक दर की गणना नहीं की गई।
योग							49,07,039	50,74,356	99,81,395	35,94,454	28,75,559	64,70,013	13,12,585	21,98,797	35,11,382	
₹ करोड़ में													13.12	21.99	35.11	

* लीज किराया : आवासीय समूह आवास और अन्य योजनाओं के नियम 10 (ii) (अ) के अनुसार - प्रीमियम प्रभार के चार गुना पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (आठ वर्षों के लिए एक बारीय लीज राशि का 20 प्रतिशत) अर्थात् लीज किराया = 2.5 प्रतिशत (₹ 3,78,751 x चार गुना) x आठ वर्ष = ₹ 3,03,000

** प्रीमियम दर 03.09.2012 की अधिसूचना अनुसार 31.03.2014 तक प्रीमियम दर ₹ 60 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज तक के आकार के भूखंडों और 5000 वर्ग गज से ऊपर की आवासीय योजनाओं के लिए) और ₹ 90 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज से अधिक आकार के भूखंडों के लिए) एवं इसके पश्चात् प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

परिशिष्ट-XVII

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

नगरपालिका मंडल, फतेहपुर शेखावटी द्वारा प्रीमियम राशि की कम वसूली

(राशि ₹ में)

खसरा नम्बर	अनुमोदन की दिनांक	भूखंड उपयोग परिवर्तन		परिवर्तित किया जाना वाले भूखंड का क्षेत्र (वर्ग गज में)	प्रीमियम दर		प्रीमियम राशि		
		से	तक		लागू	ली गई*	वसूलनीय	वसूलनी	कम वसूली (कॉलम 8 - कॉलम 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
514/1/1/1, 514/3/1/1, 430/3	17.12.2014	कृषि	आवासीय	30,941.45	10	63 (60 +5 प्रतिशत)	19,49,311	3,09,720	16,39,591
32/1/1	17.07.2015	-वही-	-वही-	206.66	10	100 (90 + 5 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	20,666	2,070	18,596
योग							19,69,977	3,11,790	16,58,187
₹ करोड़ में							19.70	3.12	16.58

* प्रीमियम दर 03.09.2012 की अधिसूचना अनुसार 31.03.2014 तक प्रीमियम दर ₹ 60 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज तक के आकार के भूखंडों और 5,000 वर्ग गज से ऊपर की आवासीय योजनाओं के लिए) और ₹ 90 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज से अधिक आकार के भूखंडों के लिए) एवं इसके पश्चात् प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

परिशिष्ट-XVIII

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन पर रूपान्तरण प्रभार और लीज किराए की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	भूखंड की स्थान	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	आवासीय आरक्षित मूल्य		रूपान्तरण प्रभार			लीज किराया			कुल कम वसूली (कॉलम 9 + कॉलम 12)
			प्रति वर्ग मीटर	योग (कॉलम 4 x कॉलम 5)	वसूलनीय (कॉलम 6 का 40 प्रतिशत)	वसूली	कम वसूली (कॉलम 7 - कॉलम 8)	वसूलनीय (कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)	वसूली	कम वसूली (कॉलम 10 - कॉलम 11)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	बी-ब्लॉक	41.00	7,000	2,87,000	1,14,800	86,100	28,700	14,350	4,305	10,045	38,745
2.	सी-ब्लॉक	105.00	7,000	7,35,000	2,94,000	2,10,000	84,000	36,750	10,500	26,250	1,10,250
3.	डी-ब्लॉक	49.07	8,000	3,92,560	1,57,024	1,31,160	25,864	19,628	6,558	13,070	38,934
4.	एफ-ब्लॉक	120.00	7,000	8,40,000	3,36,000	2,52,000	84,000	3,36,000*	67,500*	2,68,500	3,52,500
5.	गौशाला रांड	557.60	10,000	55,76,000	22,30,400	7,80,640	14,49,760	22,30,400*	1,56,128*	20,74,272	35,24,032
6.	एच-ब्लॉक	76.21	7,000	5,33,470	2,13,388	1,60,041	53,347	26,673	26,674	शून्य	53,347
7.	औद्योगिक क्षेत्र कृष्णा टाकिज	412.40	2,500	10,31,000	4,12,400	3,54,664	57,736	51,550	17,733	33,817	91,553
8.	एन-ब्लॉक	69.70	7,000	4,87,900	1,95,160	7,580	1,87,580	24,395	2,439	21,956	2,09,536
9.	पी-ब्लॉक	185.87	7,000	13,01,090	5,20,436	3,38,281	1,82,155	65,055	8,457	56,598	2,38,753
10.	रविन्द्र पथ	54.00	10,000	5,40,000	2,16,000	75,600	1,40,400	27,000	1,890	25,110	1,65,510
11.	विनोबा बस्ती	139.40	7,000	9,75,800	3,90,320	1,95,160	1,95,160	48,790	शून्य	48,790	2,43,950
			योग		50,79,928	25,91,226	24,88,702	28,80,591	3,02,183	25,78,408	50,67,110
			₹ लाख में		50.80	25.91	24.89	28.80	3.02	25.78	50.67

लीज किराया : एक बारीय = वसूली योग्य लीज किराया का आठ गुना (आवासीय आरक्षित मूल्य का पांच प्रतिशत) अर्थात आठ गुना x पांच प्रतिशत (8,40,000) = 3,36,000

परिशिष्ट-XIX

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 137)

आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन पर नगरीय निर्धारण (लीज किराया) की कम वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	आवेदक का पता	क्षेत्र (वर्ग फीट)	क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर (प्रति वर्ग फीट)	क्षेत्र की कुल आरक्षित दर (कॉलम 3 x कॉलम 4)	नगरीय निर्धारण (लीज किराए) वसूली की अवधि (एक बारीय 10 वर्ष या एक वर्ष के लिए)	नगरीय निर्धारण/लीज किराए		
						वसूलनीय (कॉलम 5 का 5 प्रतिशत x कॉलम 6)	वसूली (कॉलम 5 का 40 प्रतिशत x कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)5	कम वसूली (कॉलम 7 - कॉलम 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्लॉट नम्बर 238/59, ग्राम श्यामपुरा	1,625	725	11,78,125	10	5,89,063	2,35,625	3,53,438
2.	प्लॉट नम्बर 1358, ग्राम बांसवाड़ा	3,600	325	11,70,000	10	5,85,000	2,34,000	3,51,000
3.	प्लॉट नम्बर 47, ग्राम बांसवाड़ा	674	325	2,19,050	10	1,09,525	43,810	65,715
4.	प्लॉट नम्बर 44/2, ग्राम श्यामपुरा	4,500	725	32,62,500	1	1,63,125	65,250	97,875
5.	प्लॉट नम्बर 44/2, ग्राम श्यामपुरा	4,500	725	32,62,500	1	1,63,125	65,250	97,875
6.	प्लॉट नम्बर 356/40/1, ग्राम पीपलोद	9,133	245	22,37,585	10	11,18,793	4,47,517	6,71,276
7.	प्लॉट नम्बर 2839/307, 840/309, ग्राम बांसवाड़ा	3,000	85	2,55,000	10	1,27,500	51,000	76,500
8.	प्लॉट नम्बर 1901/01, ग्राम बांसवाड़ा	5,440	645	35,08,800	10	17,54,400	7,01,760	10,52,640
9.	प्लॉट नम्बर 1472/688 ए-1 (ए बी), ग्राम ठीकरिया	636	265	1,68,540	10	84,270	33,708	50,562
10.	प्लॉट नम्बर 113/2, ग्राम श्यामपुरा	2,100	725	15,22,500	10	7,61,250	3,04,500	4,56,750
	योग					54,56,051	21,82,420	32,73,631
	₹ लाख में					54.56	21.82	32.74

परिशिष्ट-XX

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 140)

बेहतरी प्रभार की कम वसूली/अवसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

आवेदन की दिनांक/ अनुमति प्रदान	भू-खण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	फ्लोर एरिया अनुपात							कुल अधिक्य क्षेत्रफल वर्गमीटर में (कॉलम 7 + कॉलम 9)	आरक्षित दर	बेहतरी प्रभार उच्चतर दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए (प्रति वर्गमीटर)				बेहतरी प्रभार		
		अनुमत्य	अधिकतम	लागू	अधिक्य						आरक्षित दर का 25 प्रतिशत (कॉलम 11) ₹ में	आरक्षित दर का 30 प्रतिशत (कॉलम 11) ₹ में	₹ 100 प्रति वर्ग फीट	₹ 200 प्रति वर्ग फीट	वसूलनीय	वसूली	कम वसूली/अवसूली (कॉलम 16 - कॉलम 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
नगर निगम, बीकानेर																	
1. जस्सुदर गेट के बाहर, कोठरी अस्पताल के पास, गजनेर रोड़																	
15.02.2012 एवं 05.12.2014/ 12.02.2016 (आवासीय प्रयोजनार्थ)	15,070	1.33	2.25	2.66	0.92	13,864.40	0.41 (कॉलम 5 - कॉलम 4)	6,178.70	20,043.10	1,963.60**	490.90 (0.92 एफएआर हेतु)	589.08 (0.41 एफएआर हेतु)	1,076 व.मी.*	लागू नहीं	2,15,66,376 (कॉलम 10 x कॉलम 14)	1,08,15,618	1,07,50,758
2. डीआरएम कार्यालय के सामने																	
23.02.2011/ 24.10.2011 (वाणिज्यिक - होटल प्रयोजनार्थ)	1,880.11	1.33	2.25	2.00	-	-	0.67 (कॉलम 5 - कॉलम 3)	1,259.67	1,259.67	10,500	2,625 (0.67 एफएआर हेतु)	लागू नहीं	लागू नहीं	2,152 व.मी.	33,06,634 (कॉलम 10 x कॉलम 12)	शून्य	33,06,634
नगर परिषद, नागौर																	
3. करणी कॉलोनी																	
15.02.2013/ 24.04.2013 (आवासीय प्रयोजनार्थ)	2,182.88	1.33	2.25	3.79	0.92	2,008.25	1.54 (कॉलम 5 - कॉलम 4)	3,361.63	5,369.88	418.60	104.65 (एफएआर 0.92 + 1.54 हेतु)	लागू नहीं	1,076 व.मी.*	लागू नहीं	57,77,991 (कॉलम 10 x कॉलम 14)	शून्य	57,77,991
योग																1,98,35,383	
₹ करोड़ में																1.98	
*एक वर्ग फीट के लिए ₹ 100, एक वर्ग फीट = 0.092903 वर्ग मीटर एक वर्ग मीटर के लिए = 100/0.092903 = ₹ 1,076																	
** आरक्षित दर = ₹ 4,909 प्रति वर्ग मीटर का 40 प्रतिशत (डीएलसी दर) = 1,963.60 प्रति वर्ग मीटर																	

परिशिष्ट-XXI

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 143)

विवाह स्थलों से पंजीकरण एवं वार्षिक अनुमति शुल्क की कम वसूली/अवसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	विवाह स्थलों का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	वार्षिक अनुमति शुल्क की वसूली	बकाया राशि		वसूलनीय राशि		कुल वसूलनीय राशि (कॉलम 7 + कॉलम 8)
				वार्षिक अनुमति शुल्क* (कॉलम 3 x ₹ 20 x 5 वर्ष)	शास्ति (अप्रैल 2010 से मार्च 2017)**	वार्षिक अनुमति शुल्क (कॉलम 5 + कॉलम 6 - कॉलम 4)	पंजीकरण शुल्क (2015)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अग्रवाल मैरिज पैलेस	8,888	शून्य	12,44,320	2,47,432	14,91,752	20,000	15,11,752
2.	अमर पैलेस	7,464.88	1,29,500	10,45,086	2,27,508	11,43,094	20,000	11,63,094
3.	सेलिब्रेशन पैलेस	1,366	1,33,525	1,91,240	1,42,124	1,99,839	20,000	2,19,839
4.	सिटी गार्डन	5,312	4,73,581	7,43,680	1,97,368	4,67,467	20,000	4,87,467
5.	देव मैरिज पैलेस	1,859.55	44,450	2,60,337	1,49,033	3,64,920	20,000	3,84,920
6.	दुर्गेश मैरिज पैलेस	4,115	2,90,000	5,76,100	1,80,610	4,66,710	20,000	4,86,710
7.	गंगा पैलेस	10,236	8,95,964	14,33,040	2,66,304	8,03,380	20,000	8,23,380
8.	गणपति पैलेस	583.66	50,500	81,620	1,31,162	1,62,282	20,000	1,82,282
9.	गौरव मैरिज पैलेस	8,027.55	5,00,000	11,23,857	2,35,385	8,59,242	20,000	8,79,242
10.	जिन्दल मैरिज पैलेस	5,436	4,87,000	7,61,040	1,99,104	4,73,144	20,000	4,93,144
11.	मालवा पैलेस	2,205	1,94,450	3,08,700	1,53,870	2,68,120	20,000	2,88,120
12.	मोती पैलेस	1,520	42,865	2,12,800	1,44,280	3,14,215	20,000	3,34,215
13.	सरस्वती पैलेस	5,010	3,50,000	7,01,400	1,93,140	5,44,540	20,000	5,64,540
14.	श्री पैलेस	3,610	2,98,900	5,05,400	1,73,540	3,80,040	20,000	4,00,040
15.	श्रीनगर मैरिज पैलेस	524.44	42,400	73,395	1,30,339	1,61,334	20,000	1,81,334
16.	एसएसके पार्टी	1,357.77	35,000	1,90,085	1,42,008	2,97,093	20,000	3,17,093

क्रम संख्या	विवाह स्थलों का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	वार्षिक अनुमति शुल्क की वसूली	बकाया राशि		वसूलनीय राशि		कुल वसूलनीय राशि (कॉलम 7 + कॉलम 8)
				वार्षिक अनुमति शुल्क* (कॉलम 3 x ₹ 20 x 5 वर्ष)	शास्ति (अप्रैल 2010 से मार्च 2017)**	वार्षिक अनुमति शुल्क (कॉलम 5 + कॉलम 6 - कॉलम 4)	पंजीकरण शुल्क (2015)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	सुखवन्त मैरिज पैलेस	4,330	शून्य	6,06,200	1,83,620	7,89,820	20,000	8,09,820
18.	ताज मैरिज पैलेस	2,318.55	2,12,770	2,31,855	1,46,185	1,65,270	20,000	1,85,270
योग			4,180,905	10,290,155	32,43,102	93,52,262	3,60,000	97,12,262

* सात वर्ष के लिए (अप्रैल 2010 से मार्च 2017) वार्षिक अनुमति शुल्क ₹ 20 प्रति वर्ग गज।

** प्रथम तीन माह के लिए बकाया राशि का 10 प्रतिशत + तीन माह के पश्चात विलम्ब का ₹ 50 प्रति दिवस (अर्थात् प्रथम तीन माह (अप्रैल 2010 से जून 2010 तक) के लिए बकाया अनुमति शुल्क राशि का 10 प्रतिशत) अर्थात् ₹ 12,44,320 का 10 प्रतिशत = ₹ 1,24,432 + ₹ 1,23,000 (₹ 50 x 2,460 दिवस) (जुलाई 2010 से मार्च 2017) = ₹ 2,47,432